न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 28/2026 बउनवानी नेतराम मीना बनाम तहसीलदार सवाईमाधोपुर
निवासी मीना पाडा खिलचीपुर तहसील सवाईमाधोपुर

GCMS No-2026/27

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
4.3..2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 19.12.2026 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " **विरासत का नामा0 संख्या 2151 दिनांक 26.8.2024 को तस्दीक करवाने हेतु प्रस्तुत दस्तावेजात से संबंधित कुल 8 बिन्दुओं की सूचना की प्रमाणित प्रति** " तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक:एफ./तह0/आरटीआई/2026/08 दिनांक 26.02.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12..2025 मे चाही गयी सूचना के संबंध मे तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 3 दिनांक 26.2.2026 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि उक्त सूचना गूगल पर अपन खाता पोर्टल पर संबंधित ख0न0/नामा0 संख्या इन्द्राज कर संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना गूगल पर ऑन लाईन अपना खाता पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने बाबत अपीलान्ट को सूचित किया जा चुका है। किन्तु उक्त नामा0 के संलग्न अन्य सहायक दस्तावेज पटवारी रिपोर्ट, सजरा खानदान इत्यादि की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जानी चाहिए जो नही करवायी गयी है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है नामा0 2151 दिनांक 26.8.2024 के सहायक दस्जावेज अपीलान्ट को 7 दिवस में उपलब्ध करावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner